

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक F.11(5)UDH/SOJAT (PALI)/2026-17240

जयपुर,दिनांक:—यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को सोजत रोड़ (जिला—पाली) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वेक्षण एवं क्षितिज वर्ष—2047 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती हैं:—

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील
1.	सोजत रोड़	SOJAT ROAD	सोजत
2.	सियाट	SIYAT	सोजत
3.	सिसरवादा	SISARWADA	सोजत
4.	आलावास	ALAWAS	सोजत
5.	धूंधला	DHUNDHALA	मारवाड़ जंक्शन

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर, पाली।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
- अधिशोषी अधिकारी, नगर पालिका, सोजत रोड़ (जिला—पाली)।
- सहायक निदेशक/प्रोग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम